न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-14/2019-20

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

मिनी देवी बनाम सबिता देवी वगैरह

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता –	मिनी देवी, पति–स्व० त्रिलोक महतो, ग्राम–वारूहातु, पो०–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहिणी।
क्रेता का नाम एवं पता –	(1) सबिता देवी, पति–दुर्गाचरण महतो, (2) प्रतिमा देवी, पति–राजकिशोर महतो, ग्राम–वारूहातु, पो०–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहिणी।
विद्वान अधिवक्ता का नाम –	श्री कालीपद महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–15/05/19 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता (1) सबिता देवी, पति–दुर्गाचरण महतो, (2) प्रतिमा देवी, पति–राजकिशोर महतो, ग्राम–वारूहातु, पो०–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहिणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी हैः–

भुमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
वारूहातु	सोनाहातु	60	104	346	0.17 ए०
			199	324	0.08 ए०
				1052	0.09 ए०
			185	1152	0.04 ए०
				1153	0.09 ए०
					कुलः 0.47. ए०

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, सोनाहातु का पत्रांक–289(ii) दिनांक–30/07/19 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम खाता सं०–199 में सुखलाल महतो वगैरह, खाता सं०–104 में पीआरी जौजे मंगल महतो, एवं खाता सं०–185 में शिवना महतो है।

(2) विक्रेता पंजी–II रैयत के पोता लगते है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम खाता सं०–199 में रोटे महतो वगैरह, खाता सं०–185 में त्रिलोक़ महतो, एवं खाता सं०–104 में मुसमात पीआरी है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2009–10 तक वसूली गयी है।

(5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पोता लगते है, तथा 1932 के सर्वे अनुसार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास लगभग 26.20 ए० भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक कार्य हेतु बिक्री क़र रहे है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुर्मी जाति के सदस्य है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक थाना एवं गाँव के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत विक्रेता मिनी देवी, पति–त्रिलोक महतो, ग्राम–वारूहातु, पो०–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहिणी, को क्रेता (1) सबिता देवी, पति–दुर्गाचरण महतो, (2) प्रतिमा देवी, पति–राजकिशोर महतो, ग्राम–वारूहातु, पो०–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहिणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–18/06/2019 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता मिनी देवी, पति–त्रिलोक महतो, ग्राम–वारूहातु, पो०–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहिणी, को क्रेता (1) सबिता देवी, पति–दुर्गाचरण महतो, (2) प्रतिमा देवी, पति–राजकिशोर महतो, ग्राम–वारूहातु, पो०–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहिणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना / थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
वारूहातु	सोनाहातु / 60	104	346	0.17 ए०
		199	324	0.08 ए०
			1052	0.09 ए०
		185	1152	0.04 ए०
			1153	0.09 ए०
				कुलः 0.47 ए०

लेखापित एवं संशोधित।

20/08/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।

बुण्डू।

20/08/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।

बुण्डू।